संख्या-19/2023/001-141-1-2317415-1-2023-12-5099-47-2022

प्रेषक,

अमर चन्द्र,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,

लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 8903-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (केन्द्रांश-60/रा0-40) के अन्तर्गत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र संख्या-भू०सं०/एस०एम०एस०-श०एवंवा०/पी०एम०के०एस० वाई०-खे०ता०/526/2022-23, दिनांक 01.02.2023 एवं पत्र संख्या-भू०सं०/एस०एम०एस०-श० एवंवा०/पी०एम०के०एस०वाई०-खे०ता०/537/2022-23, दिनांक 07.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 8903-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (केन्द्रांश-60/रा0-40) में प्राविधानित धनराशि रू० 1347.25 लाख के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में धनराशि रू० 210.00 लाख (रूपये दो करोड़ दस लाख मात्र) राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.01.2023 एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन प्रशा0 विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।
6. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये।

8. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं 08 नवम्बर, 2022 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अद्यतन सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402007898903 (वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2402007898903 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना	04 यात्रा व्यय	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
2	083	2402007898903 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना	08 कार्यालय व्यय	1,49,000 (रुपये एक लाख उनचास हजार मात्र)
3	083	2402007898903 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
4	083	2402007898903 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
5	083	2402007898903	27	1,94,18,000

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिं्कलर सिंचाई प्रणाली योजना	सब्सिडी	(रुपये एक करोड़ चौरानवे लाख अठारह हजार मात्र)
6	083	2402007898903 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिं्कलर सिंचाई प्रणाली योजना	29 अनुरक्षण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	083	2402007898903 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिं्कलर सिंचाई प्रणाली योजना	42 अन्य व्यय	7,34,000 (रुपये सात लाख चौंतीस हजार मात्र)
8	083	2402007898903 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिं्कलर सिंचाई प्रणाली योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	083	2402007898903 वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिं्कलर सिंचाई प्रणाली योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**2,10,00,000** **(रुपये दो करोड़ दस लाख मात्र)**
महायोग				2,10,00,000 (रुपये दो करोड़ दस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-1-424-दस-2022-23- दिनांक: 16-2-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्यासण विभाग, उ०प्र० शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तरर प्रदेश, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।